और 1969-70 के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि का अनुदान दिया ;

(ख) उक्त अनुदान किन प्रयोजनों लिए दिए गए थे और दी गई सहायता से पूरी की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुदान की कितनी धन राशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजनों के स्थान पर अन्य प्रयोजनों पर किया गया ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) तथा (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदानों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या LT—100/71]

आयोग द्वारा जिन निम्नलिखित भवन परियोजनाओं के हेतु वित्तीय सहायता दी गई थी, वे पूर्ण की जा चुकी हैं।

(1) कला खंड

(2) अध्यापक-निवास

(3) कर्मचारी गृह

(4) महिला छात्रवास

(5) गांधी भवन, और

(6) छात्र-गृह

(ग) 1966-67 तथा 1967-68 की जांच रिपोर्टों से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि जिन प्रयोजनों के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये थे, उन्हें किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया। 1968-69 तथा 1969-70 की जांच रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं द्वारा केंद्रीय अनुदानों का उपयोग

193. **श्री शिव नाथ सिंह** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने वित्तीय वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान राजस्थान की प्रत्येक शिक्षण संस्था को कितना-कितना अनुदान दिया तथा ये अनुदान किस-किस उद्देश्य से दिए गए ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला जिनमें धन का ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग किया गया जिनके लिए मन्जूरी नहीं दी गई थी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या LT—101/71]

(ख) ऐसा मामला भारत सरकार के नोटिस में अभी तक नहीं आया है।

Contributions to Political Parties by Industrialists during Lok Sabha Elections

194. SHRI DHANDAPANI : Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Industrialists in the country gave contributions to political parties to fight the recent Elections to Lok Sabha ; and

(b) if so, the total amount received by different parties ?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY) : (a) and (b). Government has no information regarding the contributions which individuals might have given in connection with the recent Lok Sabha elections. While companies have been statutorily prohibited from making any such contributions with effect from the 28th May, 1969, by the companies (Amendment) Act, 1969, there is no law prohibiting any individual from making contribution to political parties or for political purposes.